



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

दिनांक-

18297 सेवा में,

14-12-16

S.S (GPM) 507

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, नवादा
जिला- नवादा



नगर परिषद, नवादा के वर्ष 2014-15 से 15-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कठिनाईयों का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सम्बन्धित कठिनाईयों के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।
संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

—E—


वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14623/351

दिनांक- 09/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, नवादा



वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० –299/16-17

भाग- I

प्रस्तावना

1. निरीक्षित कार्यालय का नाम नगर परिषद, नवादा
2. लेखापरीक्षा की अवधि. 2014-15 से 2015-16
3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत व जांच किए गए पंजी व अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-I में एवं अप्रस्तुत अभिलेख जिसकी जांच नहीं की गई की सूची परिशिष्ट-II पर दी गई है।
4. लेखापरीक्षा की तिथि 27.04.16 से 10.05.16

5. प्रशासन

- | (1) मुख्य पार्षद का नाम | अवधि |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (क) मो० इजहार रब्बानी | 01.04.2014 से 31.03.2016 तक |
| (2) उपमुख्य पार्षद का नाम | अवधि |
| (क) श्री सरोज सिंह | 01.04.2014 से 31.03.2016 तक |
| (3) नगर कार्यपालक पदाधिकारी | अवधि |
| (क) श्री तारकेश्वर प्रसाद साह | 01.04.2012 से 25.05.2015 तक |
| (ख) श्री सुभाष नारायण | 26.05.2015 से 16.08.2015 तक |
| (ग) श्री मुकेश रंजन | 17.08.2015 से 19.08.2015 तक |
| (घ) श्री कृष्ण मुरारी | 20.08.2015 से 31.03.2016 तक |

6. लेखापरीक्षा दल के सदस्य

1. श्री सुनील कुमार (व०ले०प०)
2. श्री राजकिशोर कुमार (पर्य०)
3. श्री संजीव नयन (स०ले०प०अ०)

7. पर्यवेक्षक अधिकारी का नाम- श्री रवि कुमार (ले०प०अ०)

8. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अनुपालन - बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षक द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन

अंगीकार किए जाने के पश्चात् उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

उक्त आपत्ति के जवाब में बताया गया कि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन (अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 613/2014-15 को छोड़कर) पूर्व में ही महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा चुका है। अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 613/2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 613/2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन भी महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

9. **अंकेक्षण टिप्पणी** – नगर परिषद्, नवादा के लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं बकाया पंजी का भी संधारण नहीं किया गया था। दुकान किराया, गृह तथा वृत्ति कर की वसूली हेतु अपेक्षित प्रयास किए जाएँ। नगर परिषद्, नवादा के प्रशासन से आग्रह है कि इनके संधारण हेतु प्रयास किया जाएँ। वसूली राशि को ससमय जमा नहीं किया जा रहा था। अवरोधित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर परिषद्, नवादा के लेखाओं के संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 **कार्यपालक से वार्तालाप की गई**— दिनांक 10.05.2016 को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, नवादा के साथ निर्गत आपत्तियों पर विस्तृत विचार— विमर्श किया गया।

11 **लेखापरीक्षा का परिणाम**

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि— ₹ 4,13,885

वसूली हेतु सुझाई गई राशि — ₹ 3133934

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि— ₹ 14170517

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट— III पर दिया गया है।)

12. **बजट प्राक्कलन**

1. **बजट प्राक्कलन निर्धारित अवधि में पारित नहीं किया जाना**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगर परिषद्, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट स्थानीय निकायों के निदेशक (श्रेणी "क" के नगर परिषद्) अथवा स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उपनिदेशक (श्रेणी "ख तथा ग" के नगर परिषद्) को भेजेगी।

यथा स्थिति स्थानीय निकायों के निदेशक (श्रेणी "क" के नगर परिषद्) तथा स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय उपनिदेशक (श्रेणी "ख तथा ग" के नगर परिषद्) उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगर परिषद् को लौटा देगी।

नगर परिषद्, नवादा बोर्ड की दिनांक 20.03.2014 की बैठक में कार्यवाही संख्या 05 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 का बजट पारित किया गया था। जिसे ज्ञापांक 479 दिनांक 25.04.2014 के द्वारा अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया था।

इसी प्रकार से नगर परिषद्, नवादा बोर्ड की दिनांक 30.03.2015 की बैठक में कार्यवाही संख्या 02 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट पारित किया गया था। जिसे ज्ञापांक 434 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को भेजा गया था। अर्थात् निकाय कार्यालय द्वारा बजट प्राक्कलन नियत समय पर बनाकर सरकार के अनुमोदन के लिए नहीं भेजा गया था तथा ही सरकार द्वारा बजट प्राक्कलन पर विचार कर उसे लौटाया गया था।

2. बजट बनाने में सार्वजनिक सहभागिता नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-132 के अनुसार वार्ड समिति या अन्य नागरिक संस्थानों द्वारा आगामी वर्ष हेतु प्रत्येक वार्ड के नागरिकों की राय इकट्ठी की जायेगी। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी 15 जनवरी से पहले नागरिक सभा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के अनुमानित आय तथा व्यय नागरिकों के समक्ष उनकी टिप्पणी एवं विचार हेतु प्रस्तुत करेंगे। नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख तथा सशक्त स्थायी समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहकर इसमें भाग लेंगे। नागरिकों के सुझाव, विचारों को वार्षिक बजट बनाते समय गम्भीरता से विचार किया जाना है।

लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् नवादा द्वारा बजट बनाते समय लेखा नियमावली, 2014 के नियम-132 का पालन नहीं किया गया था। इसके कारण बजट में सार्वजनिक सहभागिता शामिल नहीं हो पायी तथा बजट नागरिकों के मूल्यवान सुझावों एवं विचारों से वंचित रह गया।

3. बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम-139 के अनुसार नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जाँच करेगी कि बजट निर्दिष्ट मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। साथ ही, समिति यह भी देखेगी कि बजट के विश्लेषण में वास्तव में पाँच प्रतिशत से अधिक विचलन नहीं है। लेकिन अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद्, नवादा द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत बजट की अर्द्धवार्षिक समीक्षा नहीं की गयी थी तथा बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय- व्यय में अत्यधिक अंतर था।

4. बजट प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय के लक्ष्यों की कम प्राप्ति

नगर परिषद् नवादा द्वारा वार्षिक लेखा (नियम 82 तथा 83), वित्तीय विवरण (धारा 88) एवं तुलन पत्र (धारा 89) का संधारण नहीं किया गया था। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा बजट में दर्शाये गये प्राप्तियों तथा व्ययों का वास्तविक आय- व्यय से शीर्षवार तुलना नहीं किया जा सका।

नगर निकाय कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 के अंकेक्षण में प्रस्तुत बजट प्राक्कलन (2014-15 से 2016-17) में दर्शाये गये वास्तविक प्राप्तियों एवं व्ययों की तुलना बजट में दर्शाये गये अनुमानित आय- व्यय से करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 में व्यय के बजट प्रावधानों के विरुद्ध नगर निकाय कार्यालय द्वारा कम लक्ष्यों को प्राप्त किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

| विवरण राशि रू0 में | 2014-15 | 2015-16 | अभियुक्ति |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|
| बजट के अनुसार अनुमानित प्राप्ति | 421804200 | 357483000 | |
| वास्तविक आय | 217978546 | 110365149 (दिसम्बर 2015 तक) | |
| बजट का प्रतिशत | 51.68 प्रतिशत | | |
| बजट के अनुसार अनुमानित व्यय | 421804200 | 357483000 | |
| वास्तविक व्यय | 79768446 | 119636740 (दिसम्बर 2015 तक) | |
| बजट का प्रतिशत | 18.91 प्रतिशत | | |

बजट प्राक्कलन बनाने की प्रक्रिया के अनुसार प्राक्कलन में दर्शाये गये राशि के विरुद्ध 10 प्रतिशत से अधिक राशि का विचलन (कम/अधिक) नहीं होना चाहिए। लेकिन नगर परिषद्, नवादा द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में पारित बजट प्रावधानों के विरुद्ध आय तथा व्यय में क्रमशः **48.32 प्रतिशत** तथा **81.09 प्रतिशत** का विचलन पाया गया।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका लेखा समिति बजट का अर्द्धवार्षिक समीक्षा कर यह जाँच करेगी कि बजट निर्देशित मार्ग पर ही हो रहा है एवं बजट वास्तविक तथा प्राप्त करने लायक है। लेकिन नगर परिषद्, नवादा द्वारा ऐसा नहीं किया गया था।

उक्त आपत्ति के संबंध में बताया गया कि भविष्य में सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संतुलित बजट बनाने का प्रयास किया जाएगा।

भविष्य में नियमानुसार वास्तविक आय एवं व्यय को ध्यान में रखते हुए संतुलित बजट बनाया जाय।

13. वित्तीय विवरणी तथा तुलन पत्र का तैयार नहीं किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक

वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद, पूर्ववर्ती वर्ष का आय- व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार करना है।

नगर परिषद्, नवादा के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि किसी भी वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया गया था।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि तुलन पत्र का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र का संधारण कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

14. आय- व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल खाता)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सामान्य रोकड़ वही एवं सहायक रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014 - 15 से 2015-16 का आय - व्यय निम्नलिखित है।

| क्रम | विवरण | 2014 - 15 | 2015 - 16 |
|------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | प्रारंभिक शेष | 8,21,66,295.47 | 21,77,55,724.43 |
| 2. | वर्ष की प्राप्ति | 20,39,06,518.96 | 27,22,89,058 |
| 3. | कुल प्राप्ति | 28,60,72,814.43 | 49,00,44,782.43 |
| 4. | कुल व्यय | 6,83,17,090 | 22,89,02,834 |
| 5. | अंत शेष | 21,77,55,724.43 | 26,11,41,948.43 |

(उपर्युक्त आय- व्यय के सार की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- IV पर)

भाग-II

खण्ड (क) शून्य

भाग- II

खण्ड (ख)

कंडिका 1(क) कर संग्रहकर्ताओं द्वारा वसूली गई राशि का जमा नहीं किया जाना ₹ 1.02 लाख रसीदों एवं दैनिक संग्रह पंजी के जॉच के क्रम में पाया गया कि कर संग्रहकर्ताओं द्वारा विविध/एच रसीदों से वसूली गई राशि नगर परिषद्, कोष में जमा नहीं किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

| क्रम | रसीद का प्रकार | रसीद सं०/दिनांक | कर संग्राहक का नाम | वसूली गई राशि | अभियुक्ति |
|------|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---|
| 1. | एच रसीद | 59301-59358 01.04.16 / 04.05.16 | श्री कृष्णनंदन सिंह | 32,388 | जमा नहीं किया गया। |
| 2. | " | 58391-58396 30.03.16 | श्री सुनील कुमार | 78,296 | चालान सं० 139 दिनांक 11.05.16 द्वारा जमा किया गया। |
| 3. | " | 57301-57400 31.12.15 | " | 2,26,354 | चालान सं० 138 दिनांक 06.05.16 द्वारा रु० 1,91,114 जमा किया गया शेष रु० 35,240 जमा नहीं किया गया। |
| 4. | " | 59232-59300 | श्री जावेद अख्तर | 34,765 | जमा नहीं किया गया। |
| 5. | विविध रसीद | 9624-9629 | श्री विजय कुमार | 45,600 | चालान सं० 139 दिनांक 11.05.16 द्वारा जमा किया गया। |
| 6. | " | 8089-8100 24.12.14 / 26.12.14 | श्री कुलदीप प्रसाद | 23,050 | " |
| 7. | " | 8238-8239 23.01.15 | " | 25,075 | " |
| 8. | " | 8257-8262 30.01.15 | " | 20,750 | " |
| 9. | " | 9454-9459 20.01.16 | " | 30,000 | " |
| | | | | 5,16,278 | |

लेखापरीक्षा आपत्ति के पश्चात रु० 4,13,885 (78,296 + 1,91,114 + 45,600 + 23,050 + 25,075 + 20,750 + 30,000) नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा कर दिया गया। शेष रु० 1,02,393 (32,388 + 37,765 + 35,240) के संबंध में जवाब दिया गया कि संबंधित संग्रहकर्ताओं से वसूली की कार्रवाई की जाएगी। शेष राशि रु० 1,02,393 संबंधित संग्रहकर्ताओं से वसूल कर नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 1(ख) कर संग्रहकर्ताओं द्वारा वसूली गई राशि से कम राशि का जमा किया जाना ₹ 0.25 लाख

रसीदों एवं दैनिक संग्रह पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि कर संग्रहकर्ताओं द्वारा एच रसीदों से वसूली गई राशि नगर परिषद् कोष में पूरा जमा नहीं कर कम राशि जमा किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

| क्रम | रसीद सं०/दिनांक | कर संग्राहक का नाम | कुल वसूली गई राशि | जमा की गई राशि | कम जमा राशि |
|------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1. | 58595/ 16.03.16 | श्री नंदलाल प्रसाद | 1,687 | 1,537 | 150 |
| 2. | 50722/ 05.02.14 | श्री कृष्णनंदन सिंह | 990 | 810 | 180 |
| 3. | 50723/ 05.02.14 | " | 178 | 162 | 16 |
| 4. | 50726/ 09.06.14 | " | 340 | 314 | 26 |
| 5. | 51764/ 14.09.14 | " | 437 | 334 | 103 |
| 6. | 56560/ 12.09.15 | " | 222 | — | 222 |
| 7. | 56562-64/ 12.09.15 | " | 587 | — | 587 |
| 8. | 56570/ 14.09.15 | " | 434 | 338 | 96 |
| 9. | 57446/ 29.10.15 | " | 556 | — | 556 |
| 10. | 56324/ 22.08.15 | मो० अनवर अंसारी | 875 | 470 | 405 |
| 11. | 55377/ 27.06.15 | श्री सुनील कुमार | 256 | 120 | 136 |
| | | कुल | 6562 | 4085 | 2477 |

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित कर्मचारियों को राशि जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया है। कम जमा राशि रु० 2,477 संबंधित कर्मचारियों से वसूल कर नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका 1(ग) रोकड़पाल द्वारा राशि का जमा नहीं किया जाना ₹ 3.44 लाख

एच रसीदों, दैनिक संग्रह पंजी, रोकड़पाल रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के जॉच के कम में पाया गया कि रोकड़पाल श्री कुलदीप प्रसाद द्वारा विभिन्न कर संग्रहकर्ताओं से नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा करने हेतु ली गई मकान कर की राशि रु० 344232 नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा नहीं किया गया था। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-V पर दिया गया है।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित रोकड़पाल को राशि जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया है। जमा नहीं की गई राशि रु० 3,44,232 संबंधित कर्मचारियों से वसूल कर नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 2 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण रु 2.05 लाख की हानि

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई-लॉ के बाई-लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई-लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर देता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं करता है।

क्षेत्रफल

परमिट फीस

| | |
|--|-----------|
| एक हेक्टेयर तक | रु 1500/- |
| एक हेक्टेयर एवं उससे ऊपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक | रु 3000/- |
| 2.5 हेक्टेयर से ऊपर | रु 5000/- |

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जुलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि नगर निकाय कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

लेकिन निकाय कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 की अवधि में स्वीकृत नक्शों की जाँच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर निकाय द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया था। इस अवधि में कुल 187 (137 + 50) नक्शे नगर परिषद, नवादा कार्यालय द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से नहीं लिया गया था। प्रति नक्शा न्यूनतम रु0 1,500 की गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के अवधि में नगर परिषद को स्वीकृत नक्शों पर नगर परिषद कार्यालय को न्यूनतम रु0 2,05,500 (137 X 1500) की हानि हुई।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में डेवलपमेन्ट परमिट फीस की वसूली की जाएगी। डेवलपमेन्ट परमिट फीस की राशि रु0 2,05,500 की वसूली नहीं करने हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से रु0 2,05,500 की वसूली कर नगर परिषद, नवादा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 3 संचार टावरों का अनधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नहीं राशि ₹ 27.10 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व में संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर परिषद् क्षेत्र में संचार टावर पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹ 40,000** प्रति टावर एवं **₹ 10,000** नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियमतः 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा आनुपातिक रूप से देय होगा अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

नगर परिषद्, नवादा के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् के द्वारा प्रस्तुत संचिका के अनुसार 27 संचार मीनार नगर क्षेत्र में अधिष्ठापित थे, जिनके पास दिनांक 31.01.2016 तक कुल ₹ 2710000 बकाया था।

नगर परिषद्, नवादा में संधारित मोबाईल टावर संचिका के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि नगर परिषद् द्वारा मोबाईल टावर के अतिरिक्त एंटीना का सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के अनुसार अतिरिक्त एंटीना पर मूल टावर के 60 प्रतिशत के दर से शुल्क लेने का प्रावधान है। अतः अतिरिक्त एंटीना का शीघ्र सर्वे कराकर शुल्क की वसूली की जाय।

उक्त 27 संचार मीनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर निगम कार्यालय द्वारा किन दरों से वसूली की जा रही थी का विस्तृत विवरणी होल्डिंग संख्या सहित लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि नगर निकाय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर की वसूली की जा रही थी अथवा नहीं।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित बकायेदारों से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बकाया राशि ₹ 2710000 संबंधित बकायेदारों से वसूल कर नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय। तथा उक्त 27 संचार मीनार जिन व्यक्तियों के घरों और जमीनों पर अवस्थित थे, उन घरों एवं जमीनों के गृह कर/सम्पत्ति कर परिषद् कार्यालय द्वारा किन दरों

से वसूली की जा रही थी का विस्तृत विवरणी होल्डिंग संख्या सहित आगामी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। जिसमें यह ज्ञात हो सके कि नगर निकाय द्वारा निर्धारित व्यवसायिक दरों से उक्त घरों एवं जमीनों से गृह कर/सम्पत्ति कर की वसूली की जा रही थी अथवा नहीं।

कंडिका 4 नक्शा पारित करने में रु 19 लाख के श्रम सेस की वसूली नहीं किया जाना

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या- वी0सी0 डब्लू0सी0-01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक-18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007-08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का एक प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिसका लागत 10 लाख रुपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निगम अथवा नगरपालिका में जमा करना था।

साथ ही यह भी प्रावधान किया गया था कि निर्धारित समय पर सेस जमा नहीं करने पर कुल सेस का दो प्रतिशत प्रतिमाह सूद के देनदार होंगे। साथ ही कुल शेष राशि के बराबर अर्थात् एक प्रतिशत + एक प्रतिशत - कुल दो प्रतिशत सेस राशि उनसे वसूली जाएगी। प्राधिकारी जिनके द्वारा सेस जमा किया जाएगा जमा किए जाने वाले कुल उपकर राशि का एक प्रतिशत प्रशासनिक एवं अन्य खर्च हेतु व्यय कर सकेंगे।

श्रम संसाधन विभाग द्वारा इसके व्यापक प्रचार- प्रसार के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से भी यह सूचना प्रकाशित करायी गयी थी।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में नक्शा पारित करते समय न तो नगर परिषद् कार्यालय द्वारा न ही वास्तुविदों द्वारा इस सेस की वसूली की गयी थी। नगर परिषद् कार्यालय तथा वास्तुविदों द्वारा नक्शों में भवन निर्माण की प्राक्कलित राशि भी नहीं दर्शायी गयी थी। इसके कारण अंकेक्षण द्वारा श्रम सेस की वास्तविक हानि ज्ञात नहीं की जा सकी।

भारत सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं मानक) निर्माण भवन, नई दिल्ली के पत्रांक सं0 62/एस ई (टी ए एस) प्लिन्थ एरिया रेट्स/122 दिनांक 12.12.2007 के अनुसार दिनांक 01.10.2007 से नई कुर्सी क्षेत्र (आधार 100 पर) दर लागू था। जिसके अनुसार प्रति फ्लोर 2.90 मी0 ऊँचाई वाले आवासीय/गैर आवासीय छ: तल्ले तक के भवनों के निर्माण का लागत 9,000 प्रति वर्गमीटर था। इस आधार पर समयानुसार मूल्य सूचकांक की भी स्वीकृति दी गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

| पत्रांक/दिनांक | स्थल का नाम | लागू होने की तिथि | मूल्य सूचकांक |
|---|-------------|-------------------|---------------|
| No.19(2)/CE(EZ-II)/2008/806 दिनांक 25.6.2008 | पटना | 04/2008 | 122 |
| No.19(2)/CE(EZ-II)/2009/2010 दिनांक 21.12.2009 | पटना | 12/2009 | 147 |
| No.19(2)/CE(EZ-II)/2011/73 दिनांक 12.1.2011 | पटना | 12/2010 | 155 |
| सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.-II)/2011/ दिनांक 28.12.11 | पटना | 12/2011 | 169 |
| सं 19(2)/मु0अ0(पू.अं.-II)/2013/ दिनांक 09.01.13 | पटना | 01/2013 | 179 |
| अतः नवीनतम अधिसूचित दर रू0 16,110 (9000x1.79) प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है जो कि 09.01.2013 से लागू है। अर्थात् 62.1 वर्ग मीटर एवं अधिक के सभी भवनों से श्रम सेस की वसूली नक्शा पारित करने के समय ही अपेक्षित है। | | | |

वर्ष 2007 में लागू प्रति वर्गमीटर कुर्सी दर रू 9,000 के आधार दर पर 179 प्रतिशत मूल्य सूचकांक को जोड़कर वर्ष 2014-15 में नगर परिषद् एवं वास्तुविदों द्वारा पारित कुल नक्शों के लागत मूल्य की गणना की गयी। इसके आधार पर जिन भवनों का लागत रू0 10 लाख से अधिक था के गणना के आधार पर प्राया गया कि नगर परिषद् द्वारा न्यूनतम कुल रू0 19,00,098 के श्रम सेस की वसूली नहीं की गयी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

| वर्ष | नगर परिषद् कार्यालय द्वारा स्वीकृत नक्शों की संख्या | 10 लाख रू0 से अधिक लागत मूल्य के भवनों की संख्या | वसूल नहीं की गयी श्रम सेस की राशि | नगर परिषद् कार्यालय को सेस वसूली में हुयी प्रशासनिक हानि |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|
| 2014-15 | 137 | 78 | 1404031 | 14040 |
| 2015-16 | 50 | 32 | 496067 | 4961 |
| | | योग | 1900098 | 19001 |

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-VII पर दिया गया है।)

लेखा परीक्षा में यह सूचित नहीं किया गया कि किन परिस्थितियों में श्रम सेस की राशि की कटौती उक्त भवनों से नहीं की गयी थी। जिसके कारण श्रम विभाग को रू0 1900098 के श्रम सेस की हानि हुयी तथा इसके अतिरिक्त रू0 19,001 की प्रशासनिक हानि नगर परिषद को हुई।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में नक्शा पारित करते समय श्रम सेस की वसूली किया जाएगा। नक्शा पारित करते समय श्रम सेस की राशि रू0 1900098 की वसूली नहीं करने हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से रू0 1900098 की वसूली कर श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 5 परफॉर्मेंस सेक्युरिटी तथा वेट की कटौती नहीं किया जाना

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(P) के अनुसार संविदा का देय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्ता जिन्हें करार प्रदान किया जाय से Performance Security प्राप्त किया जाना है। Performance Security सभी सफल बोलीकर्ता से उनके उनके पंजीकरण स्टेटस को ध्यान में रखे बिना प्राप्त की जाएगी। Performance Security 5 से 10 प्रतिशत राशि तक होना चाहिए। Performance Security सभी तरह से क्रेता के हितों को सुरक्षित करने वाला/किसी वाणिज्यिक बैंक से स्वीकार योग्य फार्म में निर्गत एकाउन्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/बैंक गारंटी हो सकता है।

Performance Security वारंटी दायित्व सहित आपूर्तिकर्ता के सभी करार दायित्वों के पूरा होने की तिथि से साठ दिन बाद की अवधि तक वैध रहनी चाहिए।

Performance Security की प्राप्ति पर सफल बोलीकर्ता को Bid Security वापस कर दी जानी चाहिए।

कय से संबंधित संचिकाओं के जाँच के कम में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान परफॉर्मेंस सेक्युरिटी की कटौती किए बिना ही कर दिया गया था।

इस प्रकार Performance Security प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत अर्थात रू0 6,89,160 आपूर्तिकर्ता को अनियमित तरीके से भुगतान कर दिया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—

| क्रम | सामग्री का नाम | आपूर्तिकर्ता का नाम | विपत्र की राशि | वैट की कटौती | आपूर्तिकर्ता को भुगतान | परफॉर्मेंस सेक्युरिटी कटौती योग्य राशि |
|------|---|--|----------------|--------------|------------------------|--|
| 1. | CFL बल्ब | M/s Burnwal Electricals, Hospital Road, Nawada | 2,27,700 | — | 2,27,000 | 22,770 |
| 2. | High Mast Light मरम्मती सामग्री / कार्य | M/s Balaji Corporation, Patna | 8,13,900 | 84,834 | 7,29,066 | 81,390 |
| 3. | Skid Steer Loader | M/s Tirupati Sales, Patna | 21,47,000 | 2,55,370 | 18,91,630 | 2,14,700 |
| 4. | Tata Ace Tipper | M/s Kunal Automobiles, Patna | 37,03,000 | 76,333 | 36,26,667 | 3,70,300 |
| | | TOTAL | | | | 6,89,160 |

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में Performance Security की कटौती की जायेगी।

उपरोक्त सभी आपूर्तिकर्ताओं से Performance Security प्राप्त किया जाय तथा लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय तबतक आनेयमित रूप से भुगतान की गई राशि रु0 6,89,160 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(ii) बिहार वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार के सामग्री के भुगतान के समय वैट की कटौती कर ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तथा वैट के रूप में कटौती की गई राशि वाणिज्य कर विभाग में जमा कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिम्मेवार व्यक्तियों से दोगुनी राशि की वसूली का प्रावधान है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सी0एफ0एल0 बल्ब हेतु किए गए भुगतान के समय वैट की राशि रु0 11,350 की कटौती नहीं किया गया था।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित आपूर्तिकर्ता M/s Burnwal Electricals के आगामी विपत्र से वैट की राशि रु0 11,350 की कटौती कर ली जायेगी। वैट की राशि रु0 11,350 की कटौती कर वाणिज्य कर विभाग को प्रेषित कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय तबतक राशि रु0 11,350 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(iii) संचिकाओं में सामग्रियों का मूल विपत्र संलग्न नहीं पाया गया। मूल विपत्र आवश्यक जाँच हेतु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत भी नहीं किया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि मूल विपत्र गार्ड फाईल में संधारित है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। चूंकि जवाब लेखापरीक्षा समाप्ति के अंतिम क्षणों दी गई जिसके कारण मूल विपत्रों

का अवलोकन नहीं किया जा सका। अतः उक्त मूल विपत्रों को अवलोकन हेतु आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका 6 रिक्शा, भैन रिक्शा एवं चालक के निबंधन शुल्क वसूली हेतु सैरात की बंदोबस्ती नहीं किया जाना

सैरात बंदोबस्ती से संबंधित संचिकाओं के जॉच के क्रम में पाया गया कि "रिक्शा, भैन रिक्शा एवं चालक के निबंधन शुल्क वसूली हेतु सैरात" की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं हो पाने की स्थिति विभागीय वसूली नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद् को न्यूनतम रु0 1,94,000 की संभावित हानि हुई। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

सुरक्षित जमा राशि - 1,94,000 (वित्तीय वर्ष 2015-16)

वित्तीय वर्ष 2013-14 की बंदोबस्ती राशि - 1,74,000

वित्तीय वर्ष 2014-15 की बंदोबस्ती राशि - 2,52,500

संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उक्त सैरात की बंदोबस्ती हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी बंदोबस्ती में किसी भी व्यक्ति के भाग नहीं लेने के कारण उक्त सैरात की बंदोबस्ती स्थगित कर दिया गया था। विभागीय वसूली किया जाना चाहिए था।

विभागीय वसूली नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद् को न्यूनतम रु0 1,94,000 की संभावित हानि हुई। उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि विभागीय वसूली के लिए कार्यालय ज्ञापांक 1116 दिनांक 03.09.15 द्वारा निर्गत किया गया था और रु0 12,300 की वसूली की गई है।

विभागीय वसूली से संबंधित रसीद लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जिसे आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय तथा वसूली गई राशि रु0 12,300 संबंधित संग्रहकर्ता से वसूल कर नगर परिषद्, नवादा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 7 'एम' एवं 'एन' फार्म नहीं रहने के कारण अनियमित भुगतान।

माईन्स एवं मिनरल निगम 1972 के आलोक में मुख्य सचिव के सर्कुलर न0 1/ESH-108/81-462 के पारा 16 के भाग 2 दिनांक 30.03.82 एवं सरकार के पत्र स0 585 दिनांक 21.03.2007 (माईन्स एवं मिनरल विभाग) के अनुसार सामग्री के ढुलाई पर भुगतान तभी मान्य है जब संवेदक/एजेंसी द्वारा चलंत बिल के साथ एम एवं एन फार्म जमा किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कार्य संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी कोई फार्म संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी। एम एवं एन फार्म नहीं रहने के बावजूद ढुलाई पर किए गए खर्च का भुगतान किया गया। जिससे संवेदक/कनीय अभियंता को राशि रु0 1,95,276 का अनियमित भुगतान हुआ। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एकरारनामा/परिमाण विपत्र में स्पष्ट लिखा गया कि बिना एम एवं एन फार्म के भुगतान नहीं किया जायेगा परन्तु भुगतान कर दिया गया है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

| क्रम | योजना सं० | प्रा० राशि | संबेदक का नाम | सामग्री की विवरणी | दुलाई पर खर्च |
|------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 22/2014-15 | 350000 | श्री शाहीद खान | स्टोन चिप्स | 1430 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 1175 |
| 2 | 27/2014-15 | 175000 | श्री ईश्वरी राम | स्टोन चिप्स | 5216 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 3130 |
| 3 | 29/2014-15 | 349581 | श्री शकील अनवर | स्टोन चिप्स | 25600 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 5554 |
| 4 | 58/2015-16 | 490000 | श्री रविशंकर शास्त्री | स्टोन चिप्स | 42598 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 8892 |
| 5 | 60/2015-16 | 488286 | श्री एहतेशाम आलम | स्टोन चिप्स | 27178 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 6494 |
| 6 | 66/2015-16 | 490000 | श्री जनार्दन प्रसाद | स्टोन चिप्स | 15930 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 7200 |
| 7 | 73/2015-16 | 490000 | श्री यदुनंदन यादव | स्टोन चिप्स | 6315 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 7465 |
| 8 | 74/2015-16 | 490000 | श्री मनीलाल प्रसाद | स्टोन चिप्स | 10903 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 6796 |
| 9 | 103/2015-16 | 220000 | श्री मनीलाल प्रसाद | स्टोन चिप्स | 10375 |
| | चतुर्थ | | | लाल बालू | 3025 |
| | | | कुल | | 195276 |

उपरोक्त योजनाओं में बिना एम एवं एन फार्म के भुगतान के संबंध में जवाब दिया गया कि संबंधित संवेदकों को एम एवं एन फार्म जमा करने हेतु नोटिस दिया जायेगा।

संबंधित संवेदकों से एम एवं एन फार्म प्राप्त कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय तबतक व्यय राशि रु० 1,95,276 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका 8

(क) नगर सरकार भवन निर्माण के राशि अवरुद्धीकरण रु० 135.41 लाख

नगर परिषद्, नवादा क्षेत्रान्तर्गत नगर सरकार भवन के निर्माण के संचिका के अवलोकन के दौरान पाया गया कि निम्नांकित आवंटन आदेश द्वारा रु० 249.99 लाख का आवंटन नगर परिषद को प्राप्त हुआ, परन्तु आवंटन पत्र सं० 50/न०वि० दि 13.11.2013 एवं 89/न०वि० दि 06.02.2014 में यह अंकित था कि प्रथम चरण में मात्र 50 प्रतिशत की राशि की निकासी की जाय एवं शेष राशि की निकासी प्रथम निकासी राशि के 75 प्रतिशत व्यय हो जाने के बाद किया जाय। परन्तु योजना आज तक प्रारंभ नहीं होने के कारण व्यय नहीं हो सका जिसके कारण मात्र रु० 1,35,41,333 की ही निकासी की जा सकी है, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद् रु० 1,14,58,000 के आवंटन से वंचित रह गया।